T.D. RKS
G.K. Sharma
25/08/2023

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
अम्बेडकर भवन, जी –3/1, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर

क्रमांकः– एफ 15 ( )सा.सु./म.क./सान्याअवि/23–24/ 48279

जयपुर दिनांक : 23/8/2023

Sh. Pawan
29/08

तकनिकी निदेशक
सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग
राजस्थान जयपुर।

विषय :–मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का प्रचार–प्रसार करवाने बाबत्।
प्रसंगः– निदेशक (CMSDC) मा0 मुख्यमंत्री कार्यालय के यू.ओ.नोट कमांक 283 दिनांक 30.06.2023 के संदर्भ में।

महोदय,

उपरोक्त विषय एवं प्रासंगिक पत्र के कम में निवेदन है कि विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का प्रचार–प्रसार, सुदृढिकरण, सुधार एवं अन्य सुझाव लाभार्थियों से राजस्थान सम्पर्क (181) पर प्राप्त सर्वे के अनुसार ई–मित्रा के माध्यम से योजना के प्रभावी कियान्वयन हेतु लोकल सर्विस प्रोवाईडर द्वारा प्रचार–प्रसार किये जाने के सुझाव प्राप्त हुये है।

अतः **मुख्यमंत्री कन्यादान योजना** का संक्षिप्त नोट संलग्न कर प्रेषित है कि लोकल सर्विस प्रोवाईडर के माध्यम से योजना का व्यापक प्रचार–प्रसार करवाने का श्रम करावे।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

(दिलबांग सिंह)
अतिरिक्त निदेशक (सा.सु.)

क्रमांकः– एफ 15 ( )सा.सु./म.क./सान्याअवि/23–24/ 48280-82

जयपुर दिनांक :– 23/8/2023

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है : –

1. निजी सचिव, शासन सचिव, महोदय सान्याअवि राज0 जयपुर।
2. निदेशक (CMSDC) मा0 मुख्यमंत्री कार्यालय के यू.ओ.नोट कमांक 283 दिनांक 30.06.2023 के संदर्भ में।
3. निजी सचिव, निदेशक, महोदय सान्याअवि राज0 जयपुर।

अतिरिक्त निदेशक (सा.सु.)

Signature valid
Digitally signed by Dilbag Singh
Designation : Deputy Director
Date: 2023.08.22 16:01:00 IST
Reason: Approved

V:\DigiGOV\Rajasthan\FileSystemDMSStore\DigiGOV\Intranet\PDF\4565779_4233...

RajKaj Ref No. : 4565779

सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
राजस्थान, जयपुर
संख्या 16525
दिनांक 25/08/2023

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना

पृष्ठ भूमि :-

वर्ष 1997-98 में राज्य सरकार द्वारा आर्थिक दृष्टि से कमजोर विधवा महिलाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान योजना प्रारम्भ की गई। वर्ष 2005 में बी.पी.एल परिवारों की पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान योजना (सहयोग योजना) प्रारम्भ की गई।

वर्तमान स्थिति :-

वर्ष 2016-17 में उक्त दोनो योजनाओं को एकीकृत कर सहयोग एवं उपहार योजना नाम से संशोधित दिशा निर्देश जारी किये गये। विभाग के संशोधित आदेश कमांक 26019 दिनांक 29.04.2020 के द्वारा सहयोग एवं उपहार योजना में लाभान्वित वर्गो एवं अनुदान में वृद्वि की गयी है। विभाग के पत्रांक 49969 दिनांक 12.10.2020 के द्वारा सहयोग एवं उपहार योजना का नाम परिवर्तन कर मुख्यमंत्री कन्यादान योजना किया गया है।

योजना में पात्रता/श्रेणी :-

1. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल परिवारों की कन्याओं के विवाह पर।
2. शेष सभी वर्गो के बीपीएल परिवारों, अन्त्योदय परिवार, आस्था कार्डधारी परिवार, आर्थिक दृष्टि से कमजोर विधवा महिलाओं, विशेष योग्यजन व्यक्तियों, पालनहार योजना में लाभान्वित कन्याओं के विवाह पर।
3. महिला खिलाडियों के स्वयं के विवाह पर।

देय सहायता राशि :-

विभाग के आदेश कमांक 26019 दिनांक 29.04.2020 के द्वारा उक्त योजना में निम्न वर्गो को लाभ दिये जाने का प्रावधान है -

1. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल परिवारों की 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की कन्याओं के विवाह पर 31,000/-, दसवी पास कन्या को 10,000/- अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि कुल 41,000/- एवं स्नातक पास कन्या को 20,000/- अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि कुल 51,000/- देय है।

2. शेष सभी वर्गो के बीपीएल परिवारों, अन्त्योदय परिवार, आस्था कार्डधारी परिवार, आर्थिक दृष्टि से कमजोर विधवा महिलाओं, विशेष योग्यजन व्यक्तियों, पालनहार योजना में लाभान्वित कन्याओं के विवाह पर तथा महिला खिलाडियों के स्वयं के विवाह पर 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की कन्याओं के विवाह पर 21,000/-, दसवी पास कन्या के विवाह पर 10,000/- अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि कुल 31,000/- स्नातक पास कन्या के विवाह पर 20,000/- अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि कुल 41,000/- दिये जाने का प्रावधान है।

आवेदनकर्त्ता :–

योजना में आवेदक विवाह योग्य कन्या के पिता/माता/संरक्षक अथवा अनाथ कन्या स्वयं भी आवेदन कर सकती है।

<u>योजना की पात्रता:–</u>

1. इस योजना के अन्तर्गत सहायता केवल राजस्थान राज्य के मूल निवासियों को ही दी जा सकेगी।
2. यह योजना एक परिवार की केवल 18 वर्ष या अधिक आयु की किन्ही 2 कन्या संतानों के विवाह हेतु ही लागू होगी।
3. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, एवं अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल परिवारों की कन्याओं के विवाह पर।
4. शेष सभी वर्गो के बीपीएल परिवारों, अन्त्योदय परिवार, आस्था कार्डधारी परिवार, आर्थिक दृष्टि से कमजोर विधवा महिलाओं, विशेष योग्यजन व्यक्तियों, पालनहार योजना में लाभान्वित कन्याओं के विवाह पर।
5. महिला खिलाडियों के स्वयं के विवाह पर।
6. आर्थिक दृष्टि से कमजोर विधवा महिलाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान के लिये पात्रता निम्नानुसार होगी:–

I. महिला जिसके पति की मृत्यु हो गई हो तथा उसने पुनर्विवाह नहीं किया है।
II. विधवा की वार्षिक आय हर स्त्रोत से 50,000 रूपये से अधिक नहीं हो।
III. परिवार में 25 वर्ष व इससे अधिक आयु का कोई कमाने वाला सदस्य परिवार में नहीं हो।

7. ऐसी विवाह योग्य कन्या, जिसके माता पिता दोनों का देहान्त हो चुका है/परिवार के किसी भी सदस्य की आय रूपयें 50 हजार वार्षिक से अधिक नहीं है, उन्हें योजनान्तर्गत उनके संरक्षक एवं स्वयं के द्वारा आवेदन करने पर विभागीय आदेश क्रमांक 26019, दिनांक 29.04.20 के बिन्दु संख्या 04 अनुदान के उपबिन्दु 02 में देय राशि लागू होगी।

<u>योजना में आवेदन करने की प्रकिया:–</u> ई–मित्र कियोस्क अथवा स्वयं के द्वारा SSO ID तैयार (sso id create) कर SJMS पोर्टल पर ऑन लाईन आवेदन किया जायेगा तथा प्रार्थी द्वारा योजना के संबंध में जानकारी हेतु गुगल प्ले स्टोर से मोबाईल नम्बर 9462745980 Install करने पर मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की सम्पूर्ण जानकारी Chatbot के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है।